न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश ग्वालियर

समक्ष

एस0एस0अली

सदस्य

प्रकरण कमांक 561-तीन/2007 निगरानी - विरूद्ध आदेश दिनांक 03-03-2007 पारित द्वारा अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा - प्रकरण कमांक 382/1998-99 अपील

बाकेलाल कहार पुत्र दलधमन कहार
ग्राम मझगवॉ तहसील सिरमौर
जिला रीवा मध्य प्रदेश ---आवेदक

विरूद्ध

राममिलन पुत्र शिवनन्दन राम ब्राहमण
ग्राम मझगवां तहसील सिरमौर जिला रीवा --अनावेदक

(आवेदकगण के अभिभाषक श्री डी0एस0चौहान)
(अनावेदकगण के अभिभाषक श्री एस0के0श्रीवास्तव)

आ दे श

(आज दिनांक 11 - 8-2017 को पारित)

यह निगरानी अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा द्वारा प्र0क0 382/1998-99 अपील में पारित आदेश दिनांक 3-3-07 के विरूद्ध मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि ग्राम पंचायत मझगवॉ द्वारा पारित प्रस्ताव कमांक 8 दिनांक 29-6-1996 से ग्राम की नामान्तरण पॅजी के सरल कमांक 45 पर ग्राम मझगवॉ की भूमि सर्वे कमांक 673 रकबा 0.40 एकड़ पर अनावेदक के स्थान पर आवेदक का नामान्तरण किया गया। इस आदेश के विरूद्ध अनावेदक ने अनुविभागीय अधिकारी सिरमौर के समक्ष अपील प्रस्तुत

की। अनुविभागीय अधिकारी सिरमौर ने प्रकरण कमांक 97/अ-6/98-99 में पारित आदेश दिनांक 21-7-1999 से अपील स्वीकार की एंव ग्राम पंचायत व्दारा किया गया नामान्तरण निरस्त कर दिया तथा प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया कि पुनः जांच कर नामान्तरण नियमों का पालन करते हुये आदेश पारित किया जावे। इस आदेश के विरूद्ध अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई। अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा ने प्रकरण कमांक 382/1998-99 अपील में पारित आदेश दिनांक 3-3-07 से अपील अस्वीकार की। अपर आयुक्त रीवा संभाग, रीवा के इसी आदेश से परिवेदित होकर यह निगरानी प्रस्तुत की गई है।

3/ निगरानी मेमो में अंकित आधारों पर उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्क सुने तथा उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया गया।

4/ उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्को पर विचार करने तथा उपलब्ध अभिलेख के अवलोकन से परिलक्षित है कि अनुविभागीय अधिकारी सिरमौर ने आदेश दिनांक 21-7-99 से ग्राम पंचायत व्दारा किया गया नामांत्रण इसलिये निरस्त किया है क्योंकि वादग्रस्त भूमि अनावेदक के नाम थी तथा ग्राम पंचायत व्दारा नामान्तरण करते समय अनावेदक को व्यक्तिगत सूचना नहीं दी । ग्राम पंचायत व्दारा की गई नामान्तरण कार्यवाही विक्रय टीप वर्ष 1952 के आधार पर आधारित थी एंव ग्राम पंचायत ने यह जॉच नहीं की है कि 1952 की विकी टीप पर से नामान्तरण कार्यवाही 1996 में विलम्ब से क्यों कराई गई। ग्राम पंचायत व्दारा नामान्तरण हेतु की गई कार्यवाही एकपक्षीय एंव नामांत्रण नियमों के विपरीत होने के कारण अनुविभागीय अधिकारी सिरमौर व्दारा आदेश दिनांक 21-7-99 में निकाले गये निष्कर्षा को अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा ने हस्तक्षेप योग्य नहीं माना है। अनुविभागीय अधिकारी सिरमौर के प्रत्यावर्तन आदेश दिनांक 21-7-99 के कम में आवेदक एंव अनावेदक को अपना-अपना पक्ष तहसील न्यायालय में रखने का उपचार प्राप्त है जिसके

कारण अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा व्दारा प्रकरण कमांक 382/1998-99 अपील में पारित आदेश दिनांक 3-3-07 में हस्तक्षेप की गुॅजायश नहीं हैं

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी सारहीन पाये जाने से निरस्त की जाती है एंव अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा व्दारा प्र0क0 382/1998-99 अपील में पारित आदेश दिनांक 3-3-07 उचित होने से यथावत् रखा जाता है।

(एस.एस.अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश ग्वालियर